संचिका सं0-7/विविध-45-03/2023 - 254(7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरणभा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक-15/06/2026

विषय:- **राज्य के 5 (पाँच) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (यथा-नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियां तथा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गयाजी) एवं दो अतिविशिष्ट अस्पताल इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना) में मरीजों एवं उनके परिजनों के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख-रखाव एवं सफाई कार्यों से संबंधित पिछले एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के बकाया विपत्रों तथा अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान हेतु संस्थानों द्वारा किये गये मांग के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू० 3,60,00,000/-(रूपये तीन करोड़ साठ लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-546(1), दिनांक-26.07.2023 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो, अतिविशिष्ट अस्पतालो एवं सदर अस्पतालो में मरीजो एव उनके परिजनों के उपयोग हेतु उपलब्ध शौचालय की साफ-सफाई एवं रख-रखाव मानक के अनुरूप और गुणवतापूर्ण ढंग से करने के उद्देश्य से इन चिकित्सा सस्थानो मे शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख-रखाव हेतु सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को मनोनयन के आधार पर कार्य का आवटन किया गया है एव विभागीय पत्रांक-184(7), दिनाक-31.07.2025 द्वारा सभी सस्थानो को सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना एव सस्थान के मध्य दो वर्षों के लिए हुये समझौता ज्ञापन समाप्ति की तिथि से अगले दो वर्षो के लिए विस्तारित करने का निदेश दिया गया है।

2- उक्त संकल्प एव विभागीय निदेश के आलोक में सभी संस्थानो द्वारा सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। राज्य के 5 (पाँच) चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो (यथा-नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया तथा अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, गयाजी) एवं दो अतिविशिष्ट अस्पताल इदिरा गाधी हृदय रोग सस्थान, पटना एव लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवशीनगर, पटना) में मरीजो एवं उनके परिजनो के उपयोग हेतु शौचालय तथा स्नानागार के दैनिक रख-रखाव एव सफाई कार्यो से संबंधित पिछले एव वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के बकाया विपत्रो तथा अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियो के मानदेय का भुगतान हेतु सस्थानो द्वारा किये गये मांग के आलोक मे वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 मे कुल रू० 3,60,00,000/-(रूपये तीन करोड साठ लाख) मात्र (अनुलग्नक-1 के अनुरूप) की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— इस राशि की निकासी मांग संख्या—20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—एलोपैथी, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—0019—रोगी कल्याण समितियों हेतु, विपत्र कोड—20—2210011100019 के अन्तर्गत सहायक अनुदान—गैर वेतन (31—06) मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित संस्थानों के निदेशक/अधीक्षक होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5— राशि की निकासी अनुलग्नक—1 में अंकित संस्थानों के संबंधित जिला कोषागार से किया जायेगा।

6— सभी संस्थानो के निदेशक/अधीक्षक यह सुनिश्चित हो लेंगे कि दैनिक रख—रखाव व सफाई से संबंधित कार्य गुणवत्तापूर्ण, विभागीय संकल्प व MoU में अंतर्निहित प्रावधानो के अनुरूप है। तदोपरान्त सभी संस्थान वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए राशि सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाईजेशन, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7— सभी संस्थान वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में BTC 42A पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

8— यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0—2561/वि0(2) दिनाक—17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक—05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक—27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक—03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक—09.04.2010 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9— प्रस्ताव एवं प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

10— प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०—7/विविध—45—03/2023 के पृष्ठ—37/टि० पर प्राप्त है।

11— यह मात्र स्वीकृत्यादेश हैं, आवंटित राशि सभी संस्थानो को CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

12— संबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,

15.1.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—7/विविध—45—03/2023—954 (7B) /स्वा0, पटना, दिनाक—15/06/2026

प्रतिलिपि— वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/निदेशक, इन्दिरा गाँधी रोग संस्थान, पटना/निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला कोषागार, पटना/समस्तीपुर/मधेपुरा/पूर्णिया एवं गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7बी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.6.26

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

रोगी कल्याण समितियों हेतु विपत्र कोड–20–221001110C019 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में संस्थानवार निम्नवत् राशि का आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	**CFMS** मे परिलक्षित राशि	वर्त्तमान आवटन							कुल योग	**CFMS** के परिप्रेक्ष्य मे शेष राशि
			नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना	श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मधेपुरा	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पूर्णिया	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, गयाजी	इदिरा गाधी हृदय रोग सस्थान, पटना	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवशीनगर, पटना		
0019–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	20 00,00 000	6 60,00,000	1 50,00 000	20,00,000	45,00,000	25,00 000	50,00,000	50,00,000	20,00,000	3,60,00,000	3,00,00,000

254 (7B) 15/06/2026

(रुपये तीन करोड़ साठ लाख) मात्र

15.6.26

सरकार के अपर सचिव